अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम 3 कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : डॉ. अंजुम खान, आरजेएस, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या : 10/2018
सी.आई.एस. नंबर : 10/2018
सी.एन.आर. नम्बर : RJKB010004322018

1. मुकेश कुमार पुत्र गणपतराम निवासी भोनावास तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
2. मुसा उर्फ सुरेश पुत्र कौशलराम निवासी बागोरी तन भोनावास तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

.....अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

3. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक।

.....प्रत्यर्थी/अप्रार्थी

फौजदारी नियमित अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.06.2018 जो कि श्री भानुप्रिया सेहरा, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली द्वारा फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 315/2004, राज्य सरकार बनाम मुकेश वगै.।

उपस्थिति :–

1. श्री रूपेश सेहरा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री हुकुमचंद गुर्जर, विद्वान अपर लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 17.07.2026**

1. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मुकेश व मुसा उर्फ सुरेश द्वारा मौजूदा अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली के निर्णय व दण्डादेश दिनांक 04.06.2018 से व्यथित न्यायालय हाजा में पेश की, जो दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी पुलिस थाना प्रागपुरा में एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 07.05.2004 को मुताबिक सूचना समय करीब 09:00 एएम एसएचओ सुरेंद्र सिंह, एसपी कोटपूतली, तहसीलदार कोटपुली, आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मय पुलिस लाइन व थाना कोटपुतली, विराट नगर, प्रागपुरा व चंदवाजी व मनोहरपुर से आए हुए पुलिस जाब्ते सहित ग्राम भौंणावास मीणों के मौहल्ले के पास पहुँचे और खेतों में बने करीब 50–60 भट्टियों जिसमें अवैध शराब हथकड बनायी जा रही थी

को नष्ट किया गया व इन भट्टियों पर करीब 50—60 हजार लीटर तैयारशुदा वास को नष्ट किया गया। समय करीब 02:30 पीएम पर जरिए मुखबीर सूचना मिली की मुकेश कुमार, मूसा उर्फ सुरेश, बीरबल मीणा, बाबूलाल, कैलाश, बहादुर, लालचंद, कैलाशचंद, रामकरण, रामकरण, सुण्डाराम, संतु उर्फ संतोष अपने—अपने घरों से देशी हथकड शराब के ड्रमों को शमशान घाट जो मीणों के मौहल्ले के पास है, में बने दी तिबारों में रख रहे हैं। इस सूचना की पुष्टि हेतु मन एसएचओ थाना सहित शमसान घाट में भौंणावास पहुँचे तो शमसान में बने पक्के तिबारों में प्लास्टिक के ड्रम रखे हुए दिखाई दिए। पश्चिम दिशा में देखता हुआ तिबारा में एक व्यक्ति कौने में प्लास्टिक के ड्रमों के पीछे छुपा हुआ मिला जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुकेश बताया जिसने बताया कि एक काले रंग का प्लास्टिक का ड्रम अवैध शराब का उसका है जिसको सूंघकर व चखकर देखा गया तो हथकड शराब होना पाया गया। बाकी प्लास्टिक के ड्रम कुल 06 जिनमें से 4 ड्रम 50—50 लीटर के व दो ड्रम 35—35 लीटर के बाबत् पूछताछ की और उक्त अवैध शराब जो रामकरण उर्फ गोल्या, संतु उर्फ संतोष व कैलाश उर्फ सुण्डाराम पुत्रान लटूरमल मीणा निवासीयान भौंणावास के बताई जो पुलिस के डर से भाग गए व 35—35 लीटर के दो ड्रम बीरबल व बहादुर के बताए गए। शमशान में ही बने तिबारा के बांयी तरफ के कौने में प्लास्टिक के ड्रमों के पास छुपा हुआ एक व्यक्ति मिला जिसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश उर्फ मूसा बताया जिसके हाथ में 20 लीटर का सफेद प्लास्टिक का जरिकेन मिला जिसको खोलकर सूंघकर व चखकर देखा तो हथकड शराब होना पाया गया। बाकी ड्रम प्लास्टिक के चार जो 50—50 लीटर व 3 ड्रम 35—35 लीटर के को भी सूंघकर व चखकर देखने पर हथकड़ शराब होना पायी गयी। बाकी ड्रमों के बारे में पूछताछ की तो 50—50 लीटर के ड्रम पप्पू मीणा, कैलाश व 35—35 लीटर के ड्रम जो लालाराम, रखने व परिवहन करने व बेचने का लाइसेंस मुकेश व सुरेश उर्फ मूसा से पूछा गया तो कोई लाइसेंस नहीं बताया व ना ही पेश किया इन दोनों तिबारों से कुल 15 ड्रम जिसमें 50—50 लीटर के 08 व 35—35 लीटर लीटर के 06 व एक जरिकेन 20 लीटर का अवैध हथकड शराब का बरामद किया सभी बरामदशुदा उक्त हथकड शराब के ड्रम व जरिकेन में से नमूना सैंपल एक—एक पव्वा निकाला गया। ड्रम व जरिकेन पर मार्का क्रमश ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आइ, जे, के, एल, एम, एन, ओ अंकित किया गया व नमूना सैंपल पर मार्का ए/1, बी/1, सी/1, डी/1, ई/1, एफ/1, जी/1, एच/1, आई/1, जे/1, के/1, एल/1, एम/1, एन/1

ओ/1, अंकित किया गया व मुकेश व सुरेश उर्फ मूसा के विरूद्ध 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में अपराध पाए जाने पर जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। बाकी अन्य अभियुक्तगण पुलिस के डर से भाग गए जिनकी तलाशी उनके निवास स्थान पर की गई परंतु वह नहीं मिले। उनके विरूद्ध भी 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध साबित पाया गया है। एसएचओ मय जाब्ता के भौंणावास से गिरफ्तार मुलजिमान मुकेश व सुरेश व जब्तशुदा 15 ड्रम व जरिकेन व 15 पव्वे सील्डशुदा किए गए। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में चालान न्यायालय में पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को आरोप अंतर्गत धारा 16/54 राज्य आबकारी अधिनयम के आरोप सुनाये व समझाये तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने आरोप सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 01 सुरेंद्र सिंह, पी.ड. 02 छींतरमल, पी.ड. 3 पुरण, पी.ड. 4 मोहरलाल, पी.ड. 05 धर्मपाल, पी.ड. 06 सुरेश चौहान, पी.ड. 07 धर्मेंद्र, पी.ड. 08 कानाराम, पी.ड. 09 रामपाल, पी.ड. 10 गोविंद, पी.ड. 11 प्रकाश, पी. ड. 12 सुरेन्द्र, पी.ड. 13 रामकुमार, पी.ड. 14 राजपाल, पी.ड. 15 शंकर लाल छाबा को परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी 01 लगायत पी 22 प्रदर्शित करवाये गए।

5. बाद अभियोजन साक्ष्य अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. के तहत परीक्षित किया गया। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने गवाहान द्वारा दिये गये कथनों को गलत बताया एवं बचाव साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा।

6. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस सुन दिनांक 04.06.2018 को निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया। निर्णयानुसार अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मुकेश कुमार व सुरेश उर्फ मुसा को धारा 16/54 राज्य आबकारी अधिनयम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया। अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण उक्त अपराध में 06 माह का साधारण कारावास व 3,000–3000/– रूपये के अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्तगण 3 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतने के दण्ड से दण्डित किया है। उक्त निर्णय व दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई है।

7. बहस अपील सुनी गयी। अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। सक्षम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आयी साक्ष्य का सही रूप से परीशिलन नहीं करते हुए दोषसिद्धी का निर्णय पारित किया गया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों की साक्ष्य में भी विरोधाभास, वक्त घटना गवाह पी.ड. 1 सुरेंद्रसिंह द्वारा अन्य अभियुक्तगण को मौके से भागते हुए बताया है। जबकि अन्य किसी गवाह ने इस बात की ताइद नहीं की है और ना ही मुखबीर की सूचना बाबत् कोई जानकारी देता है। फर्द जप्ति हथकड़ शराब प्रदर्श पी 1 के दोनों गवाह प्रकाश व रामपाल पक्षद्रौही घोषित हुए है जिन्होंने अपने सामने कोई शराब जप्त नहीं होने की साक्ष्य दी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. इसके जवाब में अपर लोक अभियोजक ने सक्षम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर एवं साक्ष्य का पूर्णतः परिशिलन करते हुए आलौच्य निर्णय व दण्डादेश दिनांक 04.06.2018 विधि परख रूप से पारित किया जाना बताया है तथा कथन किया कि अभियोजन पक्ष की ओर से परिक्षित सभी गवाहों ने अपीलार्थीगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों की संदेह से परे पुष्टि की है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलौच्य निर्णय व दण्डादेश पुष्ट किये जाने का निवेदन किया।

9. बहस अपील सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

''आया विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्धी कर दण्डित किये जाने में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रूटि कारित की गई है अथवा नहीं ?

10. इस न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या दिनांक 07.05.2005 को अभियुक्तगण के सचेतन कब्जे से 630 लीटर अवैध हथकड शराब बरामद हुयी थी। उक्त बिंदु पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करे तो उस दिन प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही का संचालन गवाह पी.ड. 01 सुरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया था जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.05.2017 को एसएचओ प्रागपुरा में तैनात था उस दिन के ए एस आई रामकुमार, छीतरमल,

मोहरीलाल, कानाराम एचसी 1325, 1177, 910, 1219, 1386, 809, 1362, 1129, 190 व एचसी नंबर 377, 175, 0145 आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ ग्राम भौणावास में अवैध शराब की भट्टियों को 8.15 एएम पर नष्ट करने बाबत् रवाना हुआ था। जाप्ता व अन्य थानों को जाप्ता व अन्य विभाग जाप्ता के साथ में ग्राम भौणावास के करीब 9.00 एएम पर पहुंचे। मीणों के मौहल्ले के पास पचास साठ भट्टियां अवैध शराब की पाई गई। उन भट्टियों पर पचास साठ लीटर तैयारशुदा माल मिला। सभी को आबकारी के अधिकारियों ने ईमानदारी से नष्ट किया। समय करीब 2.30 पीएम पर शमशानों के पास तिबारों में अवैध शराब के ड्रम रखे जाने की सूचना जरिए मुखबीर मिली रामकुमार, संतोष, कैलाश, सुण्डा, लटूर मीणा अपने घरों में देशी अवैध शराब घरों में से शमशान के तिबारे में रख रहे है। शमशान घ ाट पहुंचने पर पश्चिम झांकते तिबारे में कुल 6 ड्रम रखे हुए थे जिनके पीछे मुकेश मीणा छिपा हुआ था। जिसके कब्जे में से एक 35 लीटर का एक काला जरिकेन मिला जिसका अपना होना बताया बाकी चार ड्रमों को रामकरण उर्फ गोल्या, संतु उर्फ संतोश, कैलाश, सुण्डा, बहादुर व बीरबल का बताया जो पुलिस को देखकर भाग गए। दूसरे तिबारे में दक्षिण को देखता हुआ है तिबारे में सुरेश हरिजन बैठा मिला। सुरेश व मुकेश के पास कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। जिन पर 16/54 आबकारी अधिनियम गिरफ्तार किया। उक्त सभी जरिकेन व कब्जे में रखी अवैध शराब 630 लीटर शराब मिली। सभी जरिकेनों में से प्रत्येक में से अलग अलग सैम्पल एक साथ सूखे पव्वों में भरा जाकर सील मोहर किया। दूसरे पर मार्का ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच जरिकेनों पर मार्का आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ सील मोहर भरने के बाद अंकित किया। सैम्पल पव्वों को सील मोहर कर मार्का ए–1, बी–1, सी–1, डी–1, ई–1, एफ–1, जी–1, एच–1, आई–1, जे–1, के–1, एल–1, एम–1, एन–1, ओ–1 अंकित किए गए। फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 मौके पर तैयार की जप्ती व फर्द जप्ती की कार्यवाही के रूबरू मौतबिरान प्रकाश व रामपाल की मौजूदगी में की गई। फर्द जप्ती पी 1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सी से डी गवाह प्रकाश ई से एफ गवाह रामपाल जी से एच अभियुक्त मुकेश के हस्ताक्षर है। उक्त स्थान पर मुकेश की अंगूठा निशानी है, के स्थान पर चार जगह नमूना सील अंकित है। अभियुक्त मुकेश के जरिए फर्द प्रदर्श पी 2 गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, सी से डी अभियुक्त मुकेश के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर मुकेश के अंगूठा निशानी अंकित है। एक्स स्थान पर चार जगह नमूना सील अंकित है। प्रदर्श पी 2 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, सी से डी

अभियुक्त मुकेश के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 3 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है और एक्स पर अभियुक्त की अंगूठा निशानी अंकित है। मुलजिमान को लेकर थाने आ गए। मुकदमा नंबर 169/2004 अंतर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के अपराध में तफतीश रामकुमार एएसआई को सुपुर्द की। पर्चा कायम मुकाम प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। एफआईआर प्रदर्श पी 5 है जिस पर मेरे ए से बी हस्ताक्षर है माल को जमा मालखाना करवाया। रामकुमार एएसआई ने नक्शा मौका स्थान निरीक्षण मेरे सामने किया। प्रदर्श पी 6 बनाया जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है मैं जप्तशुदा माल को सामने आने पर पहचान सकता हूं। गवाह ने जिरह में कथन किया है कि वह दिनांक 07.05.2004 को सरकारी गाडी से रवाना हुये थे। जाप्ते में 11–12 आदमी थे। 500 मीटर दूरी से भट्टियां दिख रही थी। मुखबीर की सूचना उन्हे 02:30 बजे मिली थी। घटना स्थल पर उन्हे केवल दो ही व्यक्ति मिले जिनका नाम मुकेश मीणा व सुरेश भंगी है जिनको गिरफ्तार किया गया था। जप्तशुदा शराब को सूंघा व चखा था। नक्शा मौका दूसरे दिन रामकुमार एएसआई ने बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 06 में जो तारीख में कटिंग है वह आईओ बता सकता है। यह कहना गलत है कि उन्होनें ना तो कोई शराब जप्त की है और ना ही मुलजिम सुरेश और मुकेश का गिरफ्तार किया है।

11. उक्त गवाह के साक्ष्य की पुष्टि तत्समय जाप्ते में उपस्थित गवाह पी.ड. 02 छीतरमल, पी.ड. 04 मोहरीलाल, पी.ड. 08 कानाराम, पी.ड. 13 रामकुमार ने अपनी साक्ष्य में की है एवं उन सभी के द्वारा गवाह पी.ड. 01 सुरेन्द्र सिंह के बयानों के कथनो का भी दोहरान किया है व सार रूप से कथन किया है कि दिनांक 07.05.2004 को पुलिस विभाग व आबकारी विभाग के साथ ग्राम भोणवास में अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट करने के लिये वे रवाना हुये थे। समय 02:30 पी.एम. पर जरिये मुखबीर सूचना मिली की शमशान के पास तिबारे में अवैध शराब की भट्टियां चल रही है। सूचना के अनुसार वह श्मशान के तिबारे में पहुॅचे जहॉ शराब से भरे हुये जरीकेन रखे हुये थे जो 15 ड्रम थे, जिनमें 50–50 लीटर के 08 ड्रम थे, 35–35 लीटर के 06 ड्रम थे व एक जरीकेन 20 लीटर का अवैध हथकड शराब का बरामद हुआ था। मौके पर मुकेश व सुरेश मिले थे जिन्हे गिरफ्तार किया गया था।

12. पत्रावली पर इस संदर्भ में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करे तो प्रदर्श ए 08 रोजनामचाआम पुलिस थाना प्रागपुरा की प्रमाणित प्रति है जिसके अंतर्गत समय 08:15 एएम पर उक्त पुलिस दल को सरकारी वाहन से आबकारी विभाग की मदद

हेतु भेजना अभिलिखित किया गया है। इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड. 6 सुरेश चौहान को परीक्षित करवाया गया है जिन्होंने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 07.05.2004 को मैं थाना प्रागपुरा पर कानि. के पद पर तैनात था उस रोज मेरी ड्यूटी रोजनामचा इंद्राज पर लगी हुई थी। उस रोज 8.15 एएम पर थाने से एसएचओ सुरेंद्रसिंह एएसआई मोहरीराम, कानाराम मय पुलिस जाब्ता के थाने से वास्ते देने इंद्राज आबकारी विभाग इलाका थाना मौजा भौंणावास रवाना हुए थे जिनकी रवानगी मैंने की थी। रोजनामचे में इंद्राज किया था रोजनामचा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8 है थाने का चार्ज श्री छाजू सिंह एएसआई के हवाले किया गया था। अतः उक्त दिवस को पुलिस विभाग व आबकारी दल द्वारा अवैध शराब के संबंध में कार्यवाही करने हेतु जाने की पुष्टि होती है। प्रदर्श पी 01 फर्द जप्ती हथकंड देशी शराब के ड्रम व जरीकेन है जो दिनांक 07.05.2004 को समय 03 पीएम पर बनाई गई है जिसके अंतर्गत प्रकरण से संबंधित अवैध हथकंड शराब को जप्त किया जाना व सैंपल लिया जाना अभिलिखित किया गया है। उक्त जप्ती के गवाह प्रकाश व रामपाल है। गवाह पी.ड. 09 रामपाल व पी.ड. 11 प्रकाश न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के दौरान पक्षद्रौही घोषित हुये है एवं उन्होंने स्वयं के सामने उक्त शराब की फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01 की कार्यवाही अपने सामने नहीं होने का कथन किया है परंतु उक्त दोनों ही गवाह ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 01 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब्ती के स्वतंत्र गवाह न्यायालय में अभियोजन के समर्थन में पूर्णतः नहीं आए तथा उन्होंने पुलिस द्वारा की गई जब्ती कार्यवाही को अपने समक्ष संपन्न होना स्वीकार नहीं किया, इसलिए जब्ती संदेहास्पद है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब्ती गवाहों ने न्यायालय में फर्द जब्ती पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। यद्यपि उन्होंने जब्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही अपने समक्ष होना स्वीकार नहीं किया, तथापि उन्होंने फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर किए जाने से इंकार नहीं किया। दूसरी ओर जब्ती अधिकारी एवं अनुसंधान अधिकारी सहित अभियोजन के अन्य साक्षियों ने एकरूप एवं विश्वसनीय कथन करते हुए अभियुक्त के कब्जे से अवैध हाथकड़ शराब की बरामदगी एवं जब्ती की कार्यवाही को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है।

13. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Mohan Singh vs State of Rajasthan] (1978) 4 SCC 435 तथा Surendra Singh vs State of Haryana] (2006) 9 SCC 247 में यह विधि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि जब्ती के गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही हो जाएँ, किन्तु जब्ती मेमो पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करते हों, तो मात्र

इस आधार पर जब्ती को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में न्यायालय जब्ती मेमो एवं विवेचना अधिकारी के विश्वसनीय साक्ष्य पर विश्वास कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में भी यही स्थिति विद्यमान है। जब्ती गवाहों द्वारा फर्द जब्ती पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए गए हैं तथा विवेचना अधिकारी एवं अन्य पुलिस साक्षियों के कथनों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विरोधाभास अथवा त्रुटि परिलक्षित नहीं होती जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हो। उनके कथन स्वाभाविक, परस्पर संगत एवं अभिलेखीय दस्तावेजों से पुष्ट हैं इसके अतिरिक्त, अभियोजन के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से 630 लीटर अवैध हाथकड़ शराब बरामद हुई है। बरामद शराब की इतनी अधिक मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए यह विश्वास करना कठिन है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा की शराब को झूठे रूप से आरोपित कर अभियुक्त को फँसाया गया हो। बचाव पक्ष भी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध किसी पूर्व वैमनस्य, दुर्भावना अथवा झूठा फँसाने के कारण को स्थापित नहीं कर सका है। अतः उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों तथा उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जब्ती गवाहों के आंशिक रूप से पक्षद्रौही हो जाने मात्र से अभियोजन का मामला अविश्वसनीय नहीं हो जाता। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के कब्जे से अवैध हाथकड़ शराब की बरामदगी एवं जब्ती संदेह से परे सिद्ध की गई है।

14. इसके पश्चात गवाह पी.ड. 01 सुरेन्द्र सिंह द्वारा आगे अपनी साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त मुकेश को जरिये प्रदर्श पी 02 व अभियुक्त सुरेश को जरिये प्रदर्श पी 3 गिरफ्तार किया गया था। पत्रावली पर प्रदर्श 02 व प्रदर्श 03 उपलब्ध है जिसके अनुसार अभियुक्तगण को दिनांक 07.05.2004 को समय 03:10 पीएम व 03:15 पीएम पर गिरफ्तार किया गया है। इसके पश्चात् गवाह का कथन है कि मुलजिमान को वह थाने लेकर आ गये। मुकदमा नंबर 169/2004 अंतर्गत ध ाारा 16/54 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया व तफतीश रामकुमार एएसआई को सुपुर्द की गई। पर्चा कायम मुकाम प्रदर्श पी 04 है व एफआईआर प्रदर्श पी 05 है। पत्रावली पर प्रदर्श 04 रोजनामचा आम पुलिस थाना प्रागपुरा की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण दिया गया है। उक्त पर्चें पर दर्ज की गई एफआईआर प्रदर्श पी 05 है जो दिनांक 07.05.2004 को ही दर्ज कर ली गई है। उक्त दस्तावेज से भी गवाह सुरेन्द्र सिंह के कथनों की पुष्टि होती है। गवाह द्वारा आगे कथन किया गया है कि उन्होंने माल को जमा

मालखाना करवाया। इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी.ड. 10 गोविंद प्रसाद को परीक्षित करवाया गया है जिनके द्वारा साक्ष्य में कथन किया गया है कि दिनांक 07.05.2004 को पीएस प्रागपुरा पर मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन सुरेंद्रसिंह ने मुकदमा नं. 169/04 अंतर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में सीलशुदा कुल 15 जरिकेन हथकथ शराब थे जिनमे 8 जरिकेन 50/50 लीटर व 6 जरिकेन में 35–35 लीटर शराब व एक जरिकेन 20 लीटर तथा 15 पव्वा नमूना संभलाया जिनको नंबर 334 की इंद्राज किया। दिनांक 31.05.2004 नमूना 15 सील पव्वे एफएसएल कराने हेतु प्रयोगशाला ले जाने हेतु दिए गए। जिसका इंद्राज रजिस्टर में किया गया। मालखाना रजिस्टर में जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10 ए दोनों पर मेरे हस्ताक्षर है। पत्रावली पर मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 10 ए सम्मिलित है जिसके अंतर्गत दिनांक 07.05.2004 को उक्त शराब मय सैंपल पव्वे सीलशुदा अवस्था में जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गवाह पी.ड. 01 सुरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त माल को मौके पर ही जप्त किया गया था व सीलशुदा अवस्था में जमा मालखाना करवाया गया था।

15. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि अभियोजन द्वारा जब्त किया गया माल वास्तव में अवैध हाथकड़ शराब है अथवा नहीं। इस संबंध में अभियोजन ने पी.ड. 7 धर्मेन्द्र का परीक्षण कराया है। उक्त गवाह ने अपने कथन में स्पष्ट किया है कि दिनांक 31.05.2014 को वह थाना प्रागपुरा में सिपाही के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मालखाना प्रभारी द्वारा उसे प्रकरण क्रमांक 169/2004, धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के 15 पव्वे, जो एफएसएल परीक्षण हेतु सीलबंद अवस्था में थे, एफएसएल में जमा कराने हेतु दिए गए। गवाह ने उक्त सीलबंद नमूनों को यथावत एफएसएल में जमा कराया तथा प्राप्त रसीद वापस थाना मालखाना में प्रस्तुत कर दी। उक्त रसीद प्रदर्श पी–9 के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध है।

16. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा विधिवत सीलबंद नमूनों को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया था तथा उनकी प्राप्ति का दस्तावेजी प्रमाण प्रदर्श पी 9 के रूप में उपलब्ध है। साथ ही प्रदर्श पी 21 एफएसएल रिपोर्ट से यह भी सिद्ध होता है कि परीक्षण हेतु भेजे गए नमूने सीलबंद अवस्था में प्राप्त हुए तथा परीक्षण उपरांत उनमें एथाइल अल्कोहल युक्त शराब होना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि जब्त माल का नमूना सुरक्षित एवं सीलबंद अवस्था में एफएसएल भेजा

गया तथा रासायनिक परीक्षण से वह अवैध हाथकड़ शराब होना प्रमाणित हुआ।

17. प्रकरण का महत्वपूर्ण गवाह अनुसंधान अधिकारी शंकरलाल छाबा है जो पी.ड. 15 के रूप में परीक्षित हुये है जिन्होनें कथन किया है कि दिनांक 05.10.2004 को प्रागपुरा में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज मुकदमा संख्या 169/04 की तफ्तीश हेतु पत्रावली उसे प्राप्त हुई। उसने पत्रावली का अवलोकन किया तो पत्रावली पर नकल रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 4 वापिस शामिल था जो एसएचओ सुरेंद्र सिंह जी द्वारा लिखी गई थी। जिसमें तफ्तीश श्री रामकुमार एएसआई के जिम्मे की गई थी। रवानगी रपट प्रदर्श पी 8 है जो शामिल पत्रावली है। घ ाटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 6 है जो शामिल पत्रावली है। फर्द जब्ती हथकथ शराब प्रदर्श पी 1 शामिल पत्रावली थी। गवाह सुरेंद्र, छीतरमल, मोहरीलाल, कानाराम के बयान 161 लेखबद्ध किए हुए थे। मुलजिमान की फर्द गिरफ्तारी बाबूलाल की प्रदर्श पी 13, कैलाश प्रदर्श पी 14, बहादुर प्रदर्श पी 15, लालचंद प्रदर्श पी 16, कैलाश पुत्र लटूरमल प्रदर्श पी 17, रामकरण सुण्डाराम प्रदर्श पी 19 संतु उर्फ संतोष प्रदर्श पी 20 है। उक्त सभी फर्दात, गिरफ्तारियां आईओ श्री फूलचंद जी द्वारा की गई थी। उक्त सभी फर्दात पर ए से बी उनके साईन है। नमूना सैंपल 15 सीलबंद पैकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराए थे। जिसकी जमा रसीद प्रदर्श पी 9 पत्रावली पर शामिल है। दिनांक 05.10.2004 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी फूलचंद एएसआई ड्यूटी में बाहर होने से पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् दिनांक 5.10.2004 को मुलजिम सुमेर मीणा को उसके द्वारा जरिए फर्द प्रदर्श पी 12 गिरफ्तार किया गया था। जिस पर ए से बी गवाह राजपाल के साईन है व सी से डी उसके साईन है, ई से एफ मुलजिम सुमेर द्वारा दी गई 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 22 है जिस पर ए से बी उसके साईन है, सी से डी मुलजिम के साईन है, ई से एफ दी गई इत्तला का अंकन है। इत्तला के अनुसार संबंधित जगह का निशादेही मौका प्रदर्श पी 11 है जिसका हालात मौका उसकी पुश्त पर अंकित है। उक्त फर्दात पर ई से एफ उसके साईन है, जी से एच मुलजिम के साईन है। तत्पश्चात् प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री फूलचंद एएसआई पुनः बाद ड्यूटी थाना आने पर पुनः उनको पत्रावली अनुसंधान हेतु सुपुर्द की गई। नकल मालखाना प्रदर्श पी 10ए है जो शामिल पत्रावली है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 है जो शामिल पत्रावली है। आईओ फूलचंद एएसआई ने बाद अनुसंधान अग्रिम कार्यवाही हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत की। उसने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध

साक्ष्य के आधार पर मुलजिमान मुकेश, बीरबल, सुरेश, संतू, कैलाश, रामकरण, सुण्डाराम, कैलाश पुत्र उमराव, बहादुर, लालचंद, बाबूलाल उर्फ पप्पू व मूसा उर्फ सुरेश के विरुद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चार्जशीट किता कर उक्त मुलजिमान के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। चार्जशीट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी आईओ फूलचंद के हस्ताक्षर है। जिरह में भी गवाह की साक्ष्य अखंडनीय रही है व उक्त गवाह की साक्ष्य को प्रकरण में प्रस्तुत गवाहान व प्रदर्शित दस्तावेज द्वारा पूर्णरूप से साबित किया गया है।

18. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 15 शंकरलाल छाबा की साक्ष्य का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने सम्पूर्ण अनुसंधान की कार्यवाही को क्रमबद्ध एवं विस्तृत रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उनके कथन से यह सिद्ध होता है कि अनुसंधान के दौरान तैयार किए गए समस्त आवश्यक दस्तावेज, यथा रोजनामचा रपट (प्रदर्श पी–4), घटनास्थल का नक्शामौका (प्रदर्श पी–6), रवानगी रपट (प्रदर्श पी–8), जब्ती फर्द (प्रदर्श पी–1), गिरफ्तारी फर्दें (प्रदर्श पी–12 से पी–20), एफएसएल में नमूना जमा कराने की रसीद (प्रदर्श पी–9), मालखाना अभिलेख (प्रदर्श पी–10), धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना (प्रदर्श पी–22) तथा एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी–21) अनुसंधान के दौरान विधिवत तैयार कर पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए। अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहन के बयान लेखबद्ध किये गये। जप्तशुदा माल का नमूना सैंपल जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परीक्षण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर विधिसम्मत रूप से आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई ठोस अथवा विश्वसनीय कारण स्थापित नहीं किया गया जिससे अनुसंधान अधिकारी की निष्पक्षता या अनुसंधान की सत्यता पर संदेह किया जा सके। यद्यपि अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण अपेक्षित होता है, तथापि केवल इस आधार पर कि वह पुलिस अधिकारी है, उसकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यदि उसकी साक्ष्य स्वाभाविक हो एवं पत्रवाली पर उपलब्ध अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से पुष्ट होती है, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य अभियोजन के अन्य गवाहों, जब्ती संबंधी दस्तावेजों तथा एफएसएल रिपोर्ट से

पूर्णतः पुष्ट होती है। उनके कथनों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विरोधाभास या त्रुटि दर्शित नहीं होती जिससे अभियोजन के प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। अतः न्यायालय का मत है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया अनुसंधान विधिसम्मत, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय है तथा उनकी साक्ष्य अभियोजन के सम्पूर्ण घ टनाक्रम को प्रमाणित करती है।

19. अतः अभियोजन पक्ष द्वारा जो सम्पूर्ण मौखिक एवम् दस्तावजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे यह साबित है कि अभियुक्त मुकेश मीणा व सुरेश उर्फ मुशा के सचेतन कब्जे से दिनांक 07.05.2004 को समय लगभग 2.30 पीएम पर शमशान में बने तिबारों से 630 अवैध हथकड शराब बरामद की गई थी। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को उक्त अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत् दोषसिद्ध कर कोई गम्भीर, विधिक व तात्विक भूल नहीं की है, अपितु अभिलेख सम्मत व विधि सम्मत निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए सही निर्णय पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है, अपितु पुष्ट किए जाने योग्य है।

20. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

21. फलस्वरूप, अपीलार्थीगण मुकेश व सुरेश उर्फ मुसा की अपील विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मुकेश वगैरह प्रकरण संख्या 315/2004 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 04.06.2018 सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय-दण्डादेश दिनांक 04.06.2018 की पुष्टि की जाती है। सजा की पुष्टि वारंट तैयार किया जाए।

(डॉ. अंजुम खान)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-3,
कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड

22. निर्णय आज दिनांक 17.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अंजुम खान)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-3,
कोटपूतली, जिला कोटपूतली-बहरोड